



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 16.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम उर्ई द्वारा 02 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष के कारावास एवं 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1. सुनील खन्ना उर्फ सुनील पुत्र स्व० तिलक राज खन्ना 2. श्रीमती गीता खन्ना पत्नी सुनील खन्ना निवासीगण मो० तुलसीनगर कोतवाली उर्ई के विरुद्ध थाना कोतवाली उर्ई पर मु०अ०सं० 619/22 धारा 406/420/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण सुनील खन्ना, श्रीमती गीता खन्ना उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष के कारावास एवं 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री विनोद कुमार PO



सुश्री नन्दनी गुप्ता APO



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



मु०आ० तीरेंद्र सिंह
कोर्ट मुहर्रिर



का० विजयराज
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

